छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

भारतीय स्टेट बैंक
एस. एल. बी. सी. प्रकोष्ठ, रायपुर
-8 DEC 2015
पत्र / फैक्स / मेल / प्राप्त हुआ

—: अधिसूचना :—

क्र. /4657 /एफ/8/78/NAIS/2015—16/14—2 रायपुर दिनांक 21/11/2015

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा दिये गये प्रशासकीय अनुमोदन के तारतम्य में राज्य शासन रबी वर्ष 2015—16 में प्रदेश में **''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना''** के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों को अधिसूचित करती है।

2/ अधिसूचित फसलें :—

1.	गेहूं सिंचित	2.	गेहूं असिंचित	3.	चना
4.	अलसी	5.	राई—सरसों	6.	आलू

3/ अधिसूचित क्षेत्र :—
सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का होगा। अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम व तहसील में पटवारी हल्का की सूची *परिशिष्ट—एक* में दर्शित है।

4/ इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार, कृषक भी भाग ले सकते है।

5/ ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते है।

6/ 01 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि 2015—16 मौसम के लिए कवर किया जायेगा।

7/ अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2015 होगी।

8/ जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा।

9/ किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसलीय रकबे की घोषणा अनिवार्यतः करेगा।

10/ संबंधित बैंको का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय—सारणी के अनुसार घोषणा पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगें।

2

समय–सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा–पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अक्टूबर–दिसंबर, 2015	31 जनवरी, 2016
जनवरी, 2016	29 फरवरी, 2016
फरवरी, 2016	31 मार्च, 2016
मार्च, 2016	30 अप्रेल, 2016
(मौसम समाप्ति की अंतिम तिथि)	31 मई, 2016

11/ शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31.07.2016 होगी।

12/ ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे। लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा। अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा।

अऋणी किसान एवं ऋण राशि से अतिरिक्त राशि का बीमा चाहने वाले किसानों के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण :–

सारणी– अधिसूचित फसलवार बीमित राशि

क्र.	अधिसूचित फसल	निर्धारित उपज के मूल्य तक आवरण प्रति हेक्टर	अतिरिक्त बीमा आवरण प्रति हेक्टेयर*	कुल बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रू.)
		बीमित राशि (रू.)	बीमित राशि (रू.)	
1	गेहूं असिंचित	12000	11000	23000
2	गेहूं सिंचित	18000	16000	34000
3	चना	25500	22000	47500
4	अलसी	9000	13500	22500
5	राई–सरसों	9500	14000	23500
6	आलू	37000	32000	69000

*अतिरिक्त बीमा आवरण–150% औसत उपज का मूल्य एवं निर्धारित उपज का मूल्य का अंतर राशि।

सारणी– अधिसूचित फसलों का निश्चित, वास्तविक प्रीमियम दर एवं इनडेमनिटी लेवल

क्र.	अधिसूचित फसल	निश्चित प्रीमियम दर (%) **	वास्तविक प्रीमियम (%) ***	इनडेमनिटी लेवल (%)
1	गेहूं असिंचित	1.50	13.00	80
2	गेहूं सिंचित	1.50	9.00	80
3	चना	2.00	7.50	80
4	अलसी	2.00	7.50	60
5	राई–सरसों	2.00	5.50	60
6	आलू	7.00	7.00	80

**ऋण राशि एवं निर्धारित उपज के मूल्य तक की बीमित राशि पर निश्चित प्रीमियम दर लागू होगा।

***अतिरिक्त बीमा आवरण के लिए वास्तविक प्रीमियम दर लागू होगा।

13/ प्रीमियम में अनुदानः–

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 25 प्रतिशत अनुदान (20% राज्य शासन एवं 5% केन्द्र सरकार) की पात्रता होगी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी।

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा–पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रायपुर को भेजना होगा।

14/ बैंक सर्विस चार्जेस :–

सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिए नेट प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात प्रदान किया जायेगा।

15/ दावा गणना :–

दावा की गणना आयुक्त, भू–अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा। प्रत्येक अधिसूचित फसलों के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का में कम से कम 4 फसल कटाई प्रयोग किया जाना अनवार्य होगा। शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22.11.15

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ.क्र./4698/एफ/8/78/NAIS/2015–16/14–2 रायपुर दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्योद्योग, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
4. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
5. सचिव, कृषि, छ.ग. शासन।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अम्बादीप बिल्डिंग 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110 001
7. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर।
8. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर।
9. संचालक कृषि/संस्थागत वित्त/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग. रायपुर।
10. कलेक्टर, जिला–...(समस्त) छ.ग.।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
12. नेशनल स्टेटिस्टिकल सर्वे आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैत्री नगर, रायपुर।
14. समन्वय, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी, रायपुर।
18. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
19. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
20. उप संचालक कृषि, जिला–...(समस्त)।

24.11.15

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग